



क्रमांक अ.स./एमपीपीटीसीएल/2078

दिनांक 27.07.2012

अधिसूचना/परिपत्र

ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-15-11/2012/13 दिनांक 10.07.2012 द्वारा दिये गये निम्न अनुमोदन को, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. जबलपुर, वर्ष 2006 से नियुक्त कम्पनी संवर्ग के सभी कार्मिकों के लिये परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL/2824 दिनांक 23.12.2011 द्वारा लागू किये गये वेजेस एण्ड एलाउन्सेस मैन्युअल के खण्ड क्रमांक -10 (3) एवं (4), 11 (2) एवं 13 में पूर्व प्रावधानों को प्रतिस्थापित करते हुये दिनांक 01.04.2012 से ग्राह्य करती है :-

(i) मार्गदर्शी सिद्धांत-खण्ड 10(3) एवं (4)

वेतन-वृद्धियों के भुगतान एवं गणना के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि की गणना वित्तीय वर्ष के रूप में की जावेगी। वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में लागू होगी।

सभी नियमित कार्मिक (प्रशिक्षुओं को छोड़कर) यदि उनके द्वारा कंपनी में पिछले वित्तीय वर्ष से न्यूनतम चार माह की सेवाएँ पूर्ण की गई हैं, वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। सेवा में व्यवधान की सेवा अवधि में गणना नहीं की जावेगी, तथापि निलंबित कर्मचारियों के प्रकरणों में उनके निलंबन अवधि की कुल सेवा अवधि में गणना, म. प्र.सिविल सेवा कंडक्ट एवं अपील नियमों के अनुसार की जावेगी।

(ii) फिक्सड भत्ता-खण्ड 11(2)

फिक्सड भत्ता- यह भत्ता मूल वेतन के निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित है तथा इसमें नियमित अंतरालों पर परिवर्तन किया जायेगा। ऐसे आंशिक परिवर्तन वेतन प्रबंधन समिति (वेज एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी) की अनुशंसाओं पर आधारित होंगे। वेतन प्रबंधन समिति द्वारा फिक्सड भत्ते की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल करते हुए नार्म्स का निर्धारण किया जाएगा तथा अनुशंसाएँ निर्धारित समय-सीमा में दी जाएगी। समिति प्रत्येक छमाही, यथासंभव प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल व अक्टूबर में बैठक करेगी। यह भत्ता कार्मिक के कार्य निष्पादन दक्षता से संबंध नहीं रहेगा।

(iii) पदोन्नति पर वेतन वृद्धि -खण्ड 13

पदोन्नति पर प्रत्येक कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त एक पदोन्नति वेतन वृद्धि का अधिकारी होगा। यह वेतन वृद्धि मूल वेतन पर न्यूनतम 3 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित है तथा कंपनी द्वारा इसमें समय-समय पर आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा। यह वेतन वृद्धि पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी और मूल वेतन सहित वेतन के सभी घटक तदानुसार पुनरीक्षित हो जावेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित समय सारिणी अनुसार पुनरीक्षित मूल वेतन पर प्रतिवर्ष माह जुलाई में देय होगी।


आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

प्रतिलिपि-

- 1 अपर सचिव, ऊर्जा म.प्र.शासन भोपाल।
- 2 मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर।
- 3 मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल / पश्चिम क्षेत्र वि. वि.कं. इंदौर / म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर / अतिरिक्त सचिव म.प्र.पू. क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- 4 कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन विकास) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 5 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड पी.)/(टर्न-की कांस्ट्रैक्ट)/(अउदा- निर्माण)/(अउदा- संचारण)/(योजना एवं ऊर्जा पद्धति)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र. पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 6 मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 7 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सीआरए-सेल)/(ट्रांसमिशन-भंडार)/(आईटी/ईआरपी) म.प्र.पा. ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 8 अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा- निर्माण)/(अउदा- संचारण)/(सिविल-ट्रांसमिशन)/(400 के.व्ही. उपकेन्द्र)/वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 9 संयुक्त निदेशक (वित्त), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 10 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा- निर्माण)/(अउदा- संचारण)/(सिविल-ट्रांसमिशन)/(उपकेन्द्र)/(ट्रांसमिशन-भंडार)/(400 के.व्ही. परीक्षण)/(सीहोर वर्कशाप) रायपुर, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 11 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 12 सहायक आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 13 वरिष्ठ सचिव, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 14 वरिष्ठ अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 15 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/
- 16 लेखाधिकारी (पेंशन), कार्या.- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 15 अतिरिक्त फाइल।


कार्यपालन अभियंता,
कार्या.- मुख्य अभियंता (का.अ.)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।